

कार्यालय सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड विराटनगर-द्वितीय

क्रमांक:- 84-1
सेवामें,

दिनांक :- 1/05/2023

श्रीमान् उप वन संरक्षक,
जयपुर (उत्तर)

विषय :- Diversion of 0.9885 Hect. Forest land in favour of Public works Department Rajasthan for Construction of road from NH8 Km Stone No.181 (Antela) to SH-08A (KhachriyawasKalyanpura Renwal) Km 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District Jaipur (Rajasthan)" Proposal No. FP/RJ/Road/144437/2021 के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- पत्र क्रमांक एफ() FCA/उक्संजउ/2022-23/5445 दिनांक 24.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि विभाग द्वारा ऑन लाईन प्रेषित प्रस्ताव Construction of road from NH8 Km Stone No.181 (Antela) to SH-08A (KhachriyawasKalyanpura Renwal) Km 0/00 to 13/00, Tehsil-Viratnagar, District Jaipur (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/Road/144437/2021 में वन विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त लगाये गये आक्षेपो की पूर्ति निम्नानुसार की जाकर आवश्यक कार्यवाही हेतु पुनः प्रस्तुत है -

क्र.सं.	आक्षेप	जवाब
1.	बिन्दु संख्या 1 की पालना अपूर्ण है, प्राप्त पालना में सड़क निर्माण वन भूमि में वर्ष 1992-94 में बिना सक्षम स्वीकृति के किया जा चुका है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं मानने का क्या करण है, स्पष्ट नहीं है।	उक्त के क्रम में निवेदन है कि उक्त सड़क का निर्माण RSAMB द्वारा 1992-94 के मध्य कराया गया था। सा. नि.वि. द्वारा उक्त सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है। RSAMB द्वारा उक्त सड़क सा.नि.वि. को वर्ष 2013-14 में दी गई। अतः उक्त सड़क के निर्माण हेतु सा.नि.वि. अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। चूंकि उक्त क्षेत्र में 0.042 हैक्ट. में सड़क निर्मित है। जो कि सक्षम स्वीकृति के बनी है। उक्त में भारत सरकार/राज्य सरकार जो भी दण्डात्मक राशि निर्धारित की जावेगी वह विभाग द्वारा जमा करा दी जावेगी एवं तदानुसार बचनबद्धता संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक अभियन्ता

सा.नि.विभाग उपखण्ड, विराटनगर- द्वितीय